सी.सी.एस. नेशनलइंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग
कोटा रोड़, बम्बाला, प्रताप नगर, जयपुर

बैग आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र
वर्ष 2017–18

निविदामुल्य : 500/– रूपये मात्र

सी.सी.एस. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग

कोटा रोड़, बम्बाला, प्रताप नगर, जयपुर

फोनः 0141 – 2795111, 2795132

सी.सी.एस. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग
कोटा रोड़, बम्बाला, प्रताप नगर, जयपुर

बैग आपूर्ति हेतु

तकनीकी–निविदा

बैग आपूर्ति कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

1.	निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नामः	
2.	फर्म के मालिक का नामः	
3.	फर्म का रजिस्टर्ड पता (टेलीफोन, फैक्स व ई–मेल सहित)	
4.	फर्म का पेन नम्बर (फोटो प्रति संलग्न करें)	
5.	फर्म का जी.एस.टी. नम्बर, यदि हो तो (फोटो प्रति संलग्न करें)	
6.	फर्म का रजिस्ट्रेशन (फोटो प्रति संलग्न करें) अ लघु उद्योग ब बिक्री कर स आयकर	
7.	सरकारी/निजी संस्थाओं की सूची जहाँ पर फर्म द्वारा बैग आपूर्ति का कार्य किया जा रहा हैं।	
8.	फर्म के पास स्वयं की मेन्यूफेक्चरिंग ईकाई होनी चाहिए।	
9.	फर्म के पास कम से कम 4 अतिकुशल कारीगर होने चाहिए।	
10.	फर्म के कारखानें में कार्मिकों की संख्या व विभिन्न प्रकार की मशीनों की सूची	
11.	पिछले दो वार्षिक रिटर्न की कॉपी संलग्न करें।	

निविदादाता के हस्ताक्षर (सील एवं दिनांक सहित)

बैग आपूर्ति हेतु निविदा की शर्तें

1. फर्म की रजिस्टर्ड प्रमाण प्रत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।
2. अनुबन्ध की अवधि 1वर्ष की होगी। उक्त अवधि के पश्चात दोनों पक्षों की सहमति से आगामी एक साल तक विस्तार किया जा सकेगा।
3. अनुबन्धकर्ता फर्म अनुबंध को किसी अन्य एजेन्सी एवं फर्म को नही सौंप सकेगा अर्थात सबलेट नहीं कर सकेगा।
4. संस्था नन्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा तथा किसी भी निविदा या निविदा के भाग को बिना कारण बताये रदद् करने का अधिकार संस्थान का होगा।
5. निविदा प्रस्तुत करते समय निविदादाता को बयाना राशि के रूप मे रू. 5,000/– रूपये की राशि महानिदेशक नियाम, जयपुर के पक्ष में देय डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा पे–आर्डर के रूप में जमा करानी होगी। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में यह राशि प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जायेगी व इस राशि पर संस्थान द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा निविदा अस्वीकृत होने की स्थिति में यह राशि संस्थान द्वारा लौटा दी जावेगी।
6. बयाना राशि का समपहरण निम्न स्थिति में किया जा सकेगा :–
    1. निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात, किन्त निविदा की स्वीकृति के पूर्व निविदा वापस ले लेता है या प्रस्ताव का उपान्तरित कर देता है।
    2. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर वहित करार यदि कोई हो, निष्पादित नही करता।
    3. जब प्रदाय आदेश दियें जाने के पश्चात नियत समय में प्रतिभूति राशि जमा नही कराता।
    4. जब निर्धारित समय में सप्लाई प्रारम्भ करने में विफल रहताहैं।
7. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में सफल निविदादाताको रू.100/– नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर संस्थान द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध करना पड़ेगा। तथा अनुबन्धकर्ता को निविदा की राशि का 5 प्रतिशत बतौर प्रतिभूति राशि के रूप में संस्थान में नकद अथवा डिमान्डड्राफ्ट अथवा पे–आर्डर के रूप में जमा करानी पड़ेगी। यह राशि अनुबन्ध के संतोष जनक निष्पादन होने की स्थिति में अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने पर वापस लौटा दी जावेगी। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में महानिदेशक नियाम, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा तथा यदि परिस्थिति वशं किसी प्रकार का

कानूनी विवाद उत्पन्न होता है तो उस का निपटारा जयपुर के न्यायालय में हीं किया जायेगा।

8. संस्थान को जो बैंग सामग्री खरीदनी हैं उस के लिए संस्थान के अर्न्तगत गठित एक कमेटी (ई–प्रक्योरमेंट) द्वारा नमूनें अनुमोदित किये गये हैं निविदादाता उन अनुमोदित नमूनो के लिए ही अपनी दर प्रस्तुत करे तथा निविदादाता को अपने सैम्पल प्रस्तुत करने होगें जिनकी दरे निविदादाता द्वारा प्रस्तुत की गई है।

9. संस्थान द्वारा प्रस्तुत सैम्पल किसी भी कार्य दिवस पर में संस्थान के प्रशासनिक शाखा में देखें जा सकतें हैं।

10. अनुबन्धकर्ता के लिए यह आवश्यक होगा कि आदेश दियें जाने के सात दिवस के भीतर आदेशित मात्रा में बैग सप्लाई कर दे। यदि सप्लाई में विलम्ब होता है तो संस्थान को नियमानुसार बिल मेंसे कटौती करने का अधिकार होगा जो कि अधिकतम 10 प्रतिशत तक हो सकती हैं तथा कटौती के संबंध में अन्तिम निर्णय संस्थान के महानिदेशक महोदय का होगा।

11. अनुबन्धकर्ता को निर्धारित सैम्पल के अनुसार माल देना होगा। यदि निर्धारित अवधि में अनुबन्धकर्ता माल आपूर्ति करने में असफल रहता है अथवा निम्नस्तर का माल आपूर्ति करता हैं तो संस्थान को यह अधिकार होगा कि माल बाजार से वैकल्पिक व्यवस्था करले तथा इस कार्य वाही में यदि संस्थान को किसी प्रकार का अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा तो अन्तर की राशि अनुबन्धकर्ता से वसूली योग्य होगी।

12. निविदादाता, निविदा मे ंअपनी दरें एफ.ओ.आर. नियाम अंकित करे।

13. **निविदा के सभी दरें टेक्स पेड अंकित की जायें**।संस्थान किसी प्रकार की टेक्स की राशि का भुगतान पृथक से नही करेगा और न ही किसी प्रकार का प्रमाण प्रत्र देने की बाध्यता संस्थान की होगी ।

14. बैग की सप्लाई हेतु संस्थान द्वारा किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

15. संतोष जनक रूप से बैग की सप्लाई न करने पर संस्थान को किसी भी समय पूर्व नोटिस देकर अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार होगा ।

16. बैग की सप्लाई हेतु सैम्पल संस्थान की प्रशासनिक शाखा में निविदा खोलने से एक दिन पूर्व जमा कराना होगा। सफल निविदाकार के सेम्पल रखकर अन्य निविदाकारों के सेम्पल लौटा दिए जावेगें।

17. निविदादाता संस्थान में आकर किसी भी कार्य दिवस में नमूनें का अवलोकन कर सकते है।

निविदादाता के हस्ताक्षर (सील एवं दिनांक सहित)

सैम्पल का विवरण निम्न प्रकार से है:

क्रम सं	विवरण	साईज
1.	1- Green Canvas out-side, inner side white slub cotton cloth 2- Institute’s Name in Golden colour Font as per Sample 3- NIAM Logo in Golden colour 1.75” 4- Inner Side two pocket (One pocket with Chain) 5- On top locking button 6- One Flap with Chain lock 7- Cotton less size 1.5”X22” on top as per sample 8- Photos of bags are as under	Hight-15.5” Bottom - 11.5”X5.5”

निविदादाता के हस्ताक्षर (सील एवं दिनांक सहित)

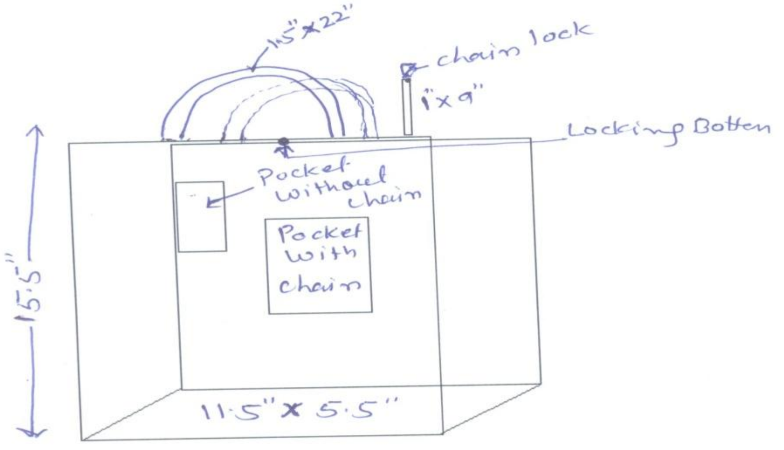
1.5" x 22"
chain lock
1" x 9"
Locking Botten
Pocket without chain
Pocket with chain
15.5"
11.5" x 5.5"